ई-फा.सं.7/7/2016-ले.क्र.

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,

नई दिल्ली।

दिनांकः 6 मार्च, 2017

निविदा सूचना

विषयः ऑफिस हैंड बैग/लैपटॉप शोल्डर बैग की आपूर्ति के लिए दर सूची (कोटेशन) आमंत्रित करने के संबंध में।

****

प्रतिष्ठित निर्माताओं/प्राधिकृत व्यापारियों/पुनर्विक्रेताओं से अप्रैल-मई, 2017 माह के दौरान पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाली सरकारी बैठकों के लिए अपेक्षित 600 ऑफिस हैंड बैग/लैपटॉप शोल्डर बैग की आपूर्ति के लिए मूल्य दर सूची आमंत्रित की जाती हैं। सफल बोलीदाताओं को इन बैगों की आपूर्ति विभिन्न स्थानों पर हमारी आवश्यकतानुसार करनी पड़ेगी जिनके विवरण पर अंतिम निर्णय लिया जाना है। आपूर्ति लागत इस मंत्रालय द्वारा बैगों की कीमत से अलग से वहन की जाएगी।

इच्छुक बोलीदाता निम्नलिखित शर्तों पर अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं:-

1. प्रत्येक बोलीदाता को अपनी बोली द्विबोली प्रणाली अर्थात तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के माध्यम से प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।
2. बोलीदाता के पास वैध टिन नंबर होना चाहिए।
3. प्रत्येक बोलीदाता के तकनीकी बोली के एक भाग के रूप में लिए एक मोहरबंद लिफाफे में आपूर्ति किए जाने वाले बैग का सैंपल भेजना अपेक्षित है। बैग के कई सैंपल के साथ प्रस्तुत की गई बोलियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की सैंपल की वस्तु संविदा पर अंतिम निर्णय ले लेने के पश्चात लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता की सैंपल की मदों को रख लिया जाएगा और उनके द्वारा की जाने वाली कुल आपूर्ति में समायोजित किया जाएगा।
4. प्रत्येक बोलीदाता के लिए "पीएओ, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली" के नाम रू.5,000/- (पांच हजार रूपये केवल) के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक या किसी नकदी-रहित रूप में बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी अपेक्षित है। असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि संविदा प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय ले लिए जाने के पश्चात लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता की बयाना राशि अपेक्षित मदों की आपूर्ति के बाद लौटा दी जाएगी। विक्रेता को मदों की आपूर्ति चुने गए स्थान पर अच्छी हालत में करनी होगी।

5. जिस लिफाफे में दर-सूची भेजी जाएं वह मोहरबंद होना चाहिए और उस पर 'हैंड बैग की आपूर्ति के लिए दर-सूची' लिखा होना चाहिए और उसे डाक द्वारा या दस्ती डाक से भेजा जाना चाहिए ताकि वह अधोहस्ताक्षरी के पास शुक्रवार, 17 मार्च, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे या उससे पहले पहुंच जाए।
6. बोलीदाता को मूल्य और वैट/कर, यदि कोई हो, को अलग-अलग दर्शाना चाहिए।
7. सफल बोलीदाता के लिए अपेक्षानुसार आदेश प्राप्त होने के पांच दिन के भीतर इस मंत्रालय के स्टोर या दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर मदों की आपूर्ति करना अपेक्षित होगा।
8. बोलियों को उसी दिन अर्थात 17 मार्च, 2017 को अपराह्न 3.30 बजे उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नई दिल्ली के कक्ष में खोला जाएगा। फर्मों के प्राधिकृत प्रतिनिधि जो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं उन्हें पहचान का प्रमाण और फर्म के पत्र-शीर्ष पर प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर इसकी अनुमति होगी।
9. टेंडर नोटिस को संसदीय कार्य मंत्रालय की वैबसाइट http://www.mpa.gov.in और eprocure.gov.in (सीपीपी पोर्टल) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
10. संविदा/आपूर्ति आदेश के निष्पादन से कोई विवाद उत्पन्न होने पर मामले को इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव को निर्दिष्ट किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
11. संविदा/आपूर्ति आदेश से उत्पन्न होने वाले विवाद, यदि कोई हो, के न्यायिक निर्णयन के लिए केवल दिल्ली में स्थित न्यायालयों में विचार होगा।
12. किसी भी रूप में अपूर्ण बोलियां स्वीकृत नहीं की जाएंगी और उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है।
13. संसदीय कार्य मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक बोली अथवा सभी बोलियों को पूर्णत: या आंशिक रूप में अस्वीकार करने या न्यूनतम बोलीदाता के साथ संविदा नहीं करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नंबर: 23034899

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियोजित आपूर्तिकर्ताओं से, यदि वे इच्छुक हों, तो अपनी दरें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाए।
2. तकनीकी निदेशक, एन आई सी, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली को - इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना को मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड किया जाए और दिनांक 8.3.2017 को अपराह्न 3.00 बजे अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाए।
3. सीपीपी पोर्टल।